रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-151/2019/2713/22-2-2019-17(62)/2011
लखनऊ:दिनांक: 15 नवम्बर, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये रिट याचिका संख्या-19202/2018 (एम0/बी0) अजयपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2019 के अनुपालन में जिला कारागार, हरिद्धार, उत्तराखण्ड में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजयपाल सिंह (बन्दी संख्या-7640) पुत्र श्री नन्हे सिंह, निवासी-भड़वल, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- ए-290/1979 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/34 के अधीन मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 29.04.1980 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.1990 द्वारा यथावत रखा गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 17.08.2019 तक काटी गयी 28 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 48 वर्ष 07 माह 26 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-151/2019/2713(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
3-पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्धार, उत्तराखण्ड।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in